पत्रांक 193/24.7-24

प्रेषक,

श्रीमती आशा रानी सिंह,
द्वितीय अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
हरदोई।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय प्रधान न्यायाधीश,
हरदोई।

विषय– उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024 दिनांक–28 जून, 2024 सपठित शासनादेश संख्या 20/2024/स–3–276/दस–2024/301(1)/2024, दिनांक–11.07.2024 के प्रकाश में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बंध में विकल्प निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुतीकरण।

आदरणीय महोदय,

विषय उपर्युक्त के सम्बंध में ससम्मान निवेदन करना है कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024 के वित्त (सामान्य) अनुभाग 3 लखनऊ दिनांक 28.03.2024 के माध्यम से उन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश की नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने सम्बंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुकी थी, के सम्बंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बंध में विकल्प की व्यवस्था की गयी है। इस सम्बंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के वित्त (सामान्य) अनुभाग 3 द्वारा दिनांक 11 जुलाई 2024 के शासनादेश संख्या 20/2024/स–3–276/दस–2024/301(1)/2024 के माध्यम से विकल्प पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है।

इस सम्बंध में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पत्र संख्या 9283/VIIb–104/Admin D सेक्शन दिनांक 08.07.2024 एवं पत्र संख्या 9691/IV–F–82(PENSION)/Admin (1) दिनांक 16 जुलाई 2024 को भी प्रकरण के सम्बंध में विकल्प पत्र निर्धारित प्रारूप पर मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद को हार्ड कापी में एवं सम्बंधित अधिकारी के ई सर्विसस पर उपलब्ध ई पोर्टल पर साफ्ट कापी समय से प्रेषित किये जाने हेतु आदेश किया गया है।

अतः उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश उपरोक्त एवं मा० उच्च न्यायालय के पत्र उपरोक्त के प्रकाश में प्रार्थिनी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के विकल्प पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जो इस पत्र के साथ मूल रूप में संलग्न करके प्रस्तुत किया जा रहा है।

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थिनी उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा में विज्ञप्ति तिथि 22 नवम्बर 2003 के आधार पर चयनित हुई है। विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि दिनांक 16.05.2006 थी एवं योगदान की तिथि 17.06.2006 थी। ऐसी अवस्था में प्रार्थिनी नवीन शासनादेश उपरोक्त के प्रकाश में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित है। अतः प्रार्थिनी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादिन किये जाने हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत कर रही है। आपसे अनुरोध है कि मेरा पुरानी पेंशन योजना से सम्बन्धित विकल्प पत्र मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं सम्बंधित पेंशन प्राधिकारी के समक्ष रखने की कृपा करें।

Forwarded to the respected R.G. for kind perusal. 24/7/24

ससम्मान।

दिनांक–23.07.2024

भवदीया,

23/7/24

(आशा रानी सिंह)
द्वितीय अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, हरदोई।
(ID No. UP.6373)

संलग्नकः– निर्धारित प्रारूप में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने हेतु विकल्प पत्र (मूल रूप में)

शासनादेश संख्या–20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1) 2024

दिनांक–11 जुलाई 2024 का संलग्नकः–

विकल्प पत्र

1. नाम – **श्रीमती आशा रानी सिंह**
2. वर्तमान पदनाम – **द्वितीय अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, हरदोई।**
3. वेतनमान – **J–5 (144840–194660)**

   बेसिक वेतनमान – (माह जुलाई 2024) 1,83,490/-
4. वर्तमान विभाग का नाम – **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद**
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञाप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम– **लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश**
6. विज्ञप्ति की तिथि– **22 नवम्बर 2003**
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि – **16.05.2006**
8. योगदान की तिथि – **17.06.2006**
9. जन्म तिथि – **11.01.1966**
10. सेवानिवृत्ति की तिथि – **31.01.2026**

मैं आशा रानी सिंह पत्नी श्री अमित प्रसाद शासनादेश संख्या– 14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत **पुरानी पेंशन योजना (√)** ~~नई पेंशन योजना~~ (X) में सम्मिलित होने का विकल्प देती हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाए।

हस्ताक्षर .... A. R. Singh 23/7/24

नाम– आशा रानी सिंह

पदनाम – द्वितीय अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, हरदोई।
(ID No – UP6373)

घोषणा पत्र

मैं आशा रानी सिंह पदनाम द्वितीय अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, हरदोई यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या 01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर .... A. R. Singh 23/7/24

नाम– आशा रानी सिंह

पदनाम – द्वितीय अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, हरदोई।
(ID No – UP6373)

सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्रीमती आशा रानी सिंह पदनाम APFJ-IInd .... को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (√) ~~नई पेंशन योजना~~ (X) में सम्मिलित किए जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

24/7/24

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय
हरदोई